मुकदमा नं0–437 / 130 / 2000
उनवान– कल्याण बनाम लालचन्द
निर्णय दिनांक– 30.07.2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–437 / 130 / 2000

उनवान

1. कल्याण (मृतक दौराने प्रा0प0)
   1.1 गोविन्दराम(मृतक दौराने प्रा0प0)
      1.1.1 श्रीमती केसरी देवी पत्नि स्व0 गोविन्दराम
      1.1.2 कैलाश
      1.1.3 सुरेश
      1.1.4 राकेश
      1.1.5 अनिल
      } पुत्रान् स्व0 गोविन्दराम

      समस्त जाति जाट निवासी टांकरडा तह0 चौमूं जिला जयपुर
      1.1.6 श्रीमती राजु देवी पुत्री स्व0 गोविन्दराम, पत्नि श्री कैलाश जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल पुरोहित, तह0 आमेर, जयपुर
      1.1.7 श्रीमती ममता देवी पुत्री स्व0 गोविन्दराम, पत्नि श्री संतोष कुमार जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तह चौमूं, जिला जयपुर
   1.2 बाबुलाल पुत्र स्व0 कल्याणसहाय
   1.3 सुजी देवी
   1.4 गुल्ली देवी
   1.5 कमली देवी
   } पुत्रियॉ स्व0 कल्याणसहाय
2. लाला (मृतक दौराने प्रा0प0)
   2.1 मांगी देवी पत्नि स्व0 लाला
   2.2 शान्ति देवी पत्नि स्व0 श्रवण कुमार पुत्रवधु स्व0 लाला
   2.3 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्रवण कुमार पौत्र स्व0 लाला
   2.4 अमित पुत्र स्व0 श्रवण कुमार पौत्र स्व0 लाला
   2.5 मनीषा पुत्री स्व0 श्रवण कुमार पौत्री स्व0 लाला नाबालिक जरिये सरंक्षक माता शान्ति देवी
   2.6 गोपाल
   2.7 रामधन
   2.8 सुवालाल
   2.9 छीगनलाल
   2.10 राधेश्याम
   } पुत्रान् स्व0 लाला

   समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम टांकरडा तह0 चौमूं जिला जयपुर।
   2.11 गोठी देवी पुत्री स्व0 लाला पत्नि कानाराम जाति जाट निवासी कानरपुरा तह0 चौमूं जिला जयपुर
   2.12 शान्ति देवी पुत्री स्व0 लाला पत्नि बनवारीलाल जाति जाट निवासी जयरामपुरा (मोहनवाडी) तह0 आमेर, जयपुर।
   2.13 रामा देवी स्व0 लाला पत्नि स्व0 रुघनाथ जाति जाट निवासी कानरपुरा तह0 चौमूं जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र परता जाति माली निवासी ग्राम टांकरडा तह चौमूं, जिला जयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–30.07.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि ग्राम टांकरडा तहसील चौमूं जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 122 की आराजियात ख0नं0 527 रकबा 0.94 हैक्टेयर, ख0नं0 541 रकबा 1.07 हैक्टेयर, ख0नं0 543 रकबा 0.59 हैक्टेयर, ख0नं0 544 रकबा 0.35 हैक्टेयर, ख0नं0 547 रकबा 0.34 हैक्टेयर, ख0नं0 686 रकबा 0.67 हैक्टेयर, ख0नं0 684/911 रकबा 0.46 हैक्टेयर, ख0नं0 527/951 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 4.72 है0, वादीप्रार्थी संख्या 2 के तनहा खातेदारी अधिकारों एवं कब्जेकाश्त की आराजियात है तथा खाता संख्या 7 की आराजियात ख0नं0 528 रकबा 0.66 हैक्टेयर, ख0नं0 529 रकबा 1.04 हैक्टेयर, ख0नं0 538 रकबा 0.97 हैक्टेयर, ख0नं0 539 रकबा 0.12 हैक्टेयर, ख0नं0 542 रकबा 0.65 हैक्टेयर, ख0नं0 545 रकबा 0.35 हैक्टेयर, ख0नं0 546 रकबा 0.32 हैक्टेयर, ख0नं0 684 रकबा 0.65 हैक्टेयर, ख0नं0 684/912 रकबा 0.43 हैक्टेयर, ख0नं0 683/1012 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 10 का कुल रकबा 5.24 हैक्टेयर, वादी प्रार्थी सं0 1 के तनहा खातेदारी अधिकारों व कब्जेकाश्त की आराजियात हैं जिन अपनी अपनी आराजियात पर क्रमशः वादी प्रार्थी संख्या 2 व वादी प्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में काबिज हो उनका उपयोग व उपभोग कर रहें हैं। एवं लगान सरकारी अदा कर रहें है। वादी प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात वादी प्रार्थीगणों की पुश्तेनी है जो पूर्व में वादीप्रार्थीगणों के पिता भूरा की थी, जिसके मृत्यु उपरान्त उक्त आराजियात शामलाती रही जिनका कालान्तर में वादी प्रार्थीगणों ने उक्त प्रकार बंटवारा करवा लिया किन्तु खाता सं0 8 की पुश्तेनी आराजियात ख0नं0 540 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.03 हैक्टेयर, वादीप्रार्थीगण की शामलाती रही जहां वादी प्रार्थीगण शामलाती में काबिज काश्त है लगान सरकारी अदा कर रहें हैं। उक्त आराजियात के सननिकट तथा उनसे घिरी हुई आराजी ख0नं0 549 रकबा 0.35 है0, ग्राम टांकरडा तह0 चौमूं जिला जयपुर के खाता संख्या 120 में स्थित हैं जिस आराजी पर पूर्व में वादी प्रार्थीगणों के पिता का निर्बाध एवं लगातार कब्जा था जो वहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय तथा उसके पूर्व से ही उक्त आराजी ख0नं0 549 के मौके पर काबिजकाश्त थे जिनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी पर वादीप्रार्थी गण शामलाती में एज ए टीनेन्ट काबिजकाश्त हुऐ तथा वर्तमान में है। जहॉ वादीप्रार्थी गणों के चरी के बाजरे की फसल खडी हैं। वादीप्रार्थीगण के पिता एवं उनके बाद वादीप्रार्थीगण उक्त आराजी ख0नं0 549 की सिंचाई हमेशा से अपने चाह ख0नं0 540 से करते आये हैं तथा वर्तमान में कर रहें हैं जिस चाह में वादी प्रार्थीगणों का विद्युत पम्पींगसेट स्थापित है जिसके विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 32 है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

इस प्रकार आराजीयात ख0नं0 549 वादीप्रार्थीगणों की पुश्तेनी कब्जेकाश्त की भूमि रही है जहां वादीप्रार्थीगण एज ए टीनेन्ट काबिजकाश्त हैं। जिस आराजी से प्रतिवादीगण अप्रार्थी सं0 1 का अथवा उसके पूर्वजों का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है न कभी उन्होनें उक्त आराजी पर काश्त की हैं तथा उनकी अन्य आराजियात व कुंआ इस आराजी से काफी नीचे हैं तथा प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पूर्वजों ने वादी प्रार्थीगण के पिता तथा उसके बाद वादी प्रार्थीगणों के वहां कृषि कार्य करने एवं उनके कब्जेकाश्त में कोई दखलन्दाजी अथवा ऐतराज नहीं किया हैं तथा लगान सरकारी भी वादी प्रार्थीगणों ने ही अदा किया हैं चुंकि उक्त आराजी गलती से प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में चढ गई थी इसलिए उसने हमेशा से ही इन्द्राज दुरुस्थी करवा देने का आश्वासन वादी प्रार्थीगणों का दिया किन्तु अब प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 नियत में खोट आ गई हैं तथा वह जबरिया वादी प्रार्थीगणों को मौके पर से बेकब्जा करने पर आमदा है जिस बाबत् उसने दिनांक 10.06.2000 को धमकी दी है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजीमी आया है। वादी प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 1 वादी प्रार्थीगणों के उक्त वादग्रस्त आराजियात ख0नं0 549 ग्राम टांकरडा तह0 चौमूं जिला जयपुर के उपयोग व उपभोग व वहां कृषि कार्य करने में कोई मजाहमत या मदखलात पेदा नहीं करें, तथा उसके मौके पर से वादी प्रार्थीगणों को किसी तरह बेदखल करने की कार्यवाही नहीं करें न प्रतिवादी अप्रार्थी सं0 2 प्रतिवादी अप्रार्थी सं0 1 के उक्त कृत्यों में किसी तरह कोई सहयोग करें, न उक्त समस्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण अपने किसी ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन परिवारजन या अधिनस्थ कर्मचारी के जरिये करवायें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस के जवाब में अप्रार्थी संख्या 1 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की आराजी खसरा नम्बर 258 के हाल खसरा नम्बरान् 549, 550, 551, 552 बने हैं जिनका कि मिन प्रतिवादी एक मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा लगान सरकारी जमा करवा रहा हैं। विवादित खसरा नम्बर 549 पर वादीगण के पिता का कभी कोई कब्जा नहीं रहा हैं तथा न ही वादीगण का कोई कब्जा काश्त हैं तथा विवादित आराजी में वादीगण की कोई बाजरा की फसल नहीं हैं। तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 549 की सिंचाई भी खसरा नम्बर 540 चाह से कभी भी नहीं होती है। वादीगण प्रार्थीगण ने समस्त तथ्य मिन प्रतिवादी अप्रार्थी की खातेदारी, कब्ज काश्त की भूमि को नाजायज से हडपने की बदनियति से व मनगढन्त व गलत लिखे है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 549 मिन प्रतिवादी की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि रही हैं। पुराना खसरा नम्बर 258 मिन अप्रार्थी की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

की कब्जे काश्त की भूमि जिसकी खातेदारी मिन अप्रार्थी के पिता श्री परता पुत्र श्री काना जी के नाम रही थी। श्री परता के मरणोपरान्त खसरा नम्बर 258 की भूमि मिन अप्रार्थी लालचन्द एवं उसके भाई मंगला के नाम दर्ज हो गयी थी। उक्त पुराना खसरा नम्बर 258 के वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान नये खसरा नम्बर 549, 550, 551, 552 बने हैं। मिन अप्रार्थी एवं उसके भाई मंगलाराम के मध्य हुये बंटवारा नामा के अनुसार उक्त भूमि व अन्य भूमियों का तकासमा करा लिया गया था तथा बंटवारा नामा में उक्त पुराना खसरा नम्बर 258 भूमि हाल खसरा नम्बर 549, 550, 551, 552 की भूमि मिन अप्रार्थी के हिस्से में आयी थी जिसका नामान्तकरण मिन अप्रार्थी के हक में खोला गया था तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 549, 550, 551, 552 की भूमि मिन अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उस पर मिन अप्रार्थी व उसके परिवारजन काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। पुराना खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 550 में मिन अप्रार्थी के मकानात बने हुये हैं। जिसमें मिन अप्रार्थी मय परिवार निवास कर रहा हैं तथा खसरा नम्बर 551 में कुआ बना हुआ हैं। जो कि मिन अप्रार्थी ने अपने खर्चे से बनाया हैं। जिससे मिन अप्रार्थी अपनी भूमि की सिंचाई कर रहा हैं। यह कहना गलत है कि चाह खसरा नम्बर 540 से प्रार्थीगण उक्त आराजी खसरा नम्बर 549 की सिंचाई कर रहे हों। बल्कि सही बात यह है कि मिन अप्रार्थी की उक्त कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 549 एवं अन्य भूमि की भूमि सिंचाई मिन अप्रार्थी द्वारा अपने चाह खसरा नम्बर 551 से की जा रही हैं। वादीगण प्रार्थी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से वर्तमान में सांठ गांठ करके मिन अप्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि को हडपने की बदनीयति से खसरा नम्बर 549 की भूमि की सिंचाई का स्त्रोत चाह खसरा नम्बर 540 होना गलत रुप से दर्ज करा लिया है। जिसकी आड में वादीगण प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी की भूमि को हडपने की कुचेष्ठा में हैं। जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजी पर कोई कब्जा ही नहीं हैं। इसलिए मिन अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2000 को वादीगण को धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बदनियति पूर्ण रुप से अनावश्यक झूंठा पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर सही तथ्यों को छिपाकर गलत व मनगढंत तथ्यों के आधार पर झूठा दावा बदनियति पूर्ण रुप से पेश किया है। प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 549 पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में प्रार्थी/वादीगण का दावा एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। मिन अप्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 549 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए मिन अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस होने तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में अंकित नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है तथा सुविधा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
भीलवाड़ा (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

सन्तुलन भी प्रार्थीगण के हक में नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में जमाबन्दी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो वह अपने खातेदारी हक अधिकारों से वंचित हो जावेगा। जिससे अप्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बखुबी साबित होता है। प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। न्यायालय अभिमत में अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रे0)चौमूँ

Scanned by CamScanner